बिहार सरकार

परिवहन विभाग

अधिसूचना

पत्रांक–02 / शमन–07(A) / 2015 परि० पटना, दिनांक–

वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना के पत्रांक–1756 दिनांक–15.03.2017 के आलोक में मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–200 के तहत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए पटना जिलान्तर्गत निम्नलिखित पुलिस पदाधिकारियों पूर्व की अधिसूचना संख्या–6200 दिनांक–18.10.2016 की समाप्ति की तिथि अर्थात् दिनांक–17.04.2017 से अगले 6 (छः) माह के लिए मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, एवं 190 के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट दण्डनीय अपराधों के लिए शमन की शक्ति प्रदान की जाती है। शमन की राशि उक्त धाराओं में विहित राशि से कम नहीं होगी।

क्र०सं०	पदाधिकारियों का नाम	कार्य क्षेत्र
1	2	3
1.	सभी परिचारी यातायात, पटना	पटना नगर क्षेत्र
2.	परिचारी प्रवर यातायात, पटना	पटना नगर क्षेत्र
3.	पुलिस निरीक्षक, यातायात	पटना नगर क्षेत्र
4.	सभी पुलिस अवर निरीक्षक, यातायात, पटना	पटना नगर क्षेत्र

2. यह आदेश दिनांक–17.04.2017 की तिथि से लागू होगा।

3. वरीय पुलिस अधीक्षक पटना / पुलिस अधीक्षक, यातायात, पटना अपने नियंत्रणाधीन उपरोक्त पुलिस पदाधिकारी द्वारा वसूली की गयी शमन की राशि के संबंध में पदाधिकारियों के कार्यकलाप की समीक्षा भी की जाएगी। मामले के समीक्षोपरात ही अगले छः माह के बाद अवधि विस्तार पर विचार किया जायेगा।

बिहार के राज्यपाल के आदेश से।

ह0 / –

संयुक्त सचिव,

परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक 02 / शमन 07(A) / 2015 परि० पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि : अधीक्षक, राजकीय मुद्राणालय, गुलजारबाग, पटना द्वारा संयुक्त सचिव, ई. गजट कोषांग, वित विभाग, बिहार पटना को सी.डी. सहित सूचनार्थ एवं राजपत्र के आगामी साधारण अंक में प्रकाशन हेतु प्रेषित।

ह0 / –

संयुक्त सचिव,

परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

E-mail

ज्ञापांक– पत्रांक–02 / शमन–07(A) / 2015 परि० 1906 पटना, दिनांक– 20/4/17

प्रतिलिपि : प्रधान सचिव, गृह (आरक्षी) विभाग, बिहार / प्रमंडलीय आयुक्त, पटना / जिला पदाधिकारी, पटना / वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना / पुलिस अधीक्षक, पटना / पुलिस अधीक्षक, यातायात, पटना / शक्ति प्रदत्त सभी संबंधित पदाधिकारी / मुख्यालय के सभी पदाधिकारी / सभी संयुक्त आयुक्त–सह–सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, बिहार / सभी जिला परिवहन पदाधिकारी, बिहार / सभी मोटरयान निरीक्षक, बिहार / सभी प्रर्वत्तन तंत्र के पदाधिकारी / प्रवर्तन निरीक्षक / प्रवर्तन अवर निरीक्षक, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20/4

संयुक्त सचिव,

परिवहन विभाग, बिहार, पटना।